

कार्यालय, मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।

का0आ0सं0:-1 स्था0-70-7-04/2024.....2855/वीरपुर, दिनांक 18.09/2025।

कार्यालय आदेश।

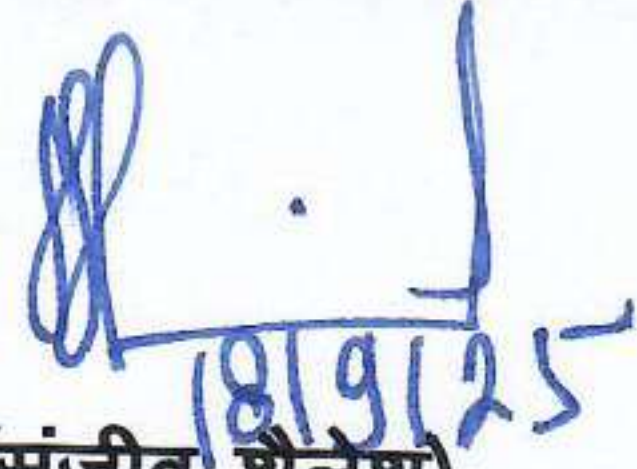
जिलाधिकारी-सह अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, सुपौल की बैठक कार्यवाही ज्ञापांक 48 स्था0, दिनांक 13.01.2025 के कार्यवाही संख्या-01 के सूची क्रमांक 01 पर की गई अनुशंसा एवं विभागीय पत्र सं0 :-05/स्था0-18 (मार्गदर्शन)-44/2024- 3405 दिनांक 17.07.2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के आलोक में स्व0 तारानन्द झा, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के आश्रित पुत्र श्री रोशन कुमार, ग्राम/मुहल्ला- कामत टोला, वार्ड संख्या-24, डाकघर- सुपौल, पिनकोड- 852131, थाना- सुपौल, प्रखंड- सुपौल, अनुमंडल- सुपौल, जिला- सुपौल, कोटि- सामान्य, जन्म तिथि-01.01.1989 को अनुकम्पा के आधार पर बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) नियमावली, 2023 के अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान वेतन स्तर-1 ₹18000-56900/- (षष्ठम् अपुनरीक्षित वेतनमान पे बैंड-1 ₹5200-20200 + ग्रेड पे0-₹1800/-) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित शर्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान कार्यालय परिचारी के रूप में नियुक्त किया जाता है :-

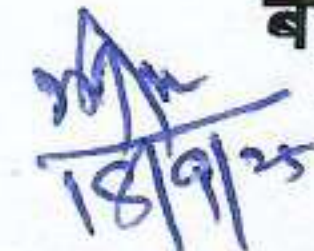
02. अगर इनकी नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणीत कर दिया जाएगा।
03. यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक रूप से अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र, अभिलेखों एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में किसी तरह की गलत सूचनायें/प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में सम्यक् विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
04. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना/धोखाधड़ी पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
05. श्री रोशन कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायगा। उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई भी की जा सकती है।





06. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1694 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार श्री रोशन कुमार पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
07. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 11462 दिनांक 24.08.2016 के आलोक में इन्हें उनके संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
08. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा।
09. नियुक्त पद पर योगदान करते समय श्री रोशन कुमार को शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, असैनिक-शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में समर्पित करना होगा। इसके अलावे योगदान के समय दहेज नहीं लने एवं देने संबंधी, मद्यपान नहीं करने संबंधी तथा स्व० तारानन्द झा के आश्रितों के भरण-पोषण करने संबंधी शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त की जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् ही योगदान स्वीकार किया जायेगा जिसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी इस कार्यालय के साथ विभाग को भी देंगे।
10. शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियुक्ति पत्र की सत्यता का सत्यापन/सम्पुष्टि कराकर पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने के उपरान्त ही पदस्थापन कार्यालय द्वारा नव नियुक्त कर्मी के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।
11. अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
12. विभाग द्वारा विपरीत आदेश प्राप्त होने पर नियुक्ति की तिथि से सेवा समाप्त समझी जायेगी।


 (संजीव शैलेश)
 मुख्य अभियंता,

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्तरण,
 जल संसाधन विभाग, वीरपुर।


ज्ञापांक:-1 स्था०-70-7-04/2024.....2855...../वीरपुर, दिनांक 18.09/2025।

प्रतिलिपि :- श्री रोशन कुमार, नव नियुक्त कार्यालय परिचारी, पिता- स्व० तारानन्द झा, ग्राम/मुहल्ला- कामत टोला, वार्ड संख्या-24, डाकघर- सुपौल, पिनकोड- 852131, थाना- सुपौल, प्रखंड- सुपौल, अनुमंडल- सुपौल, जिला- सुपौल को उनके अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापन आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।



(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता,

18/9/25

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-04/2024.....2855...../वीरपुर, दिनांक18.09...../2025।

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के प्रक्षेत्राधीन सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/पुनर्वास पदाधिकारी, कोशी योजना सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथावर्णित।

(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता,

18/9/25

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-04/2024.....2855...../वीरपुर, दिनांक18.09...../2025।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता,

18/9/25

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-04/2024.....2855...../वीरपुर, दिनांक18.09...../2025।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी-सह अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति सुपौल (उनके ज्ञापांक 48 स्था0, दिनांक 13.01.2025 के क्रम में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता,

18/9/25

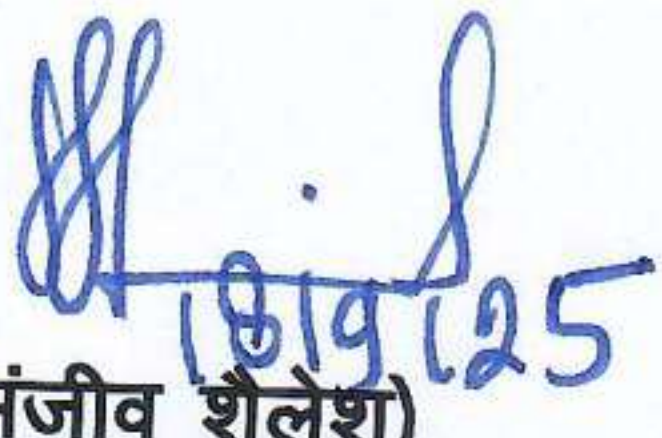
ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-04/2024.....2855...../वीरपुर, दिनांक18.09/2025।

प्रतिलिपि :- श्री नीरज धर, सरकार के अवर सचिव, प्रशाखा-05, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता,
18/9/25

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-04/2024.....2855...../वीरपुर, दिनांक18.09/2025।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(संजीव शैलेश)
मुख्य अभियंता,
18/9/25